

राजस्थान सरकार  
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020 लूज

जयपुर, दिनांक:-28.11.2024

::आदेश::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 136 के अनुसार वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

पेंशनर्स को ऑनलाईन पेंशन पोर्टल, ई मित्र, बायोमैट्रिक विधि, पोस्ट ऑफिस/बैंक के माध्यम से, राजस्थान के विभिन्न कोषालयों/उपकोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने एवं इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारी को छोड़कर सेवारत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध हैं।

अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.01.2025 तक बढ़ायी जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग में आईडी संख्या 592400178 दिनांक 25.11.2024 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी किया जाता है।



(धनलाल शेरवत)  
संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि:-


1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय।
12. समस्त कोषाधिकारी।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।



संयुक्त शासन सचिव



संयुक्त शासन सचिव 28/11/24